कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् का गठन राज्य सरकार द्वारा विधिवत किया गया है। परिषद् के समस्त कृत्यों का अधिसूचित अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है। परिषद् के समस्त कार्यो और शक्तियों का विवरण निर्धारित है। अतः परिषद के अधिकारी/कर्मचारी प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये अपने कृत्यों का निर्वहन कर रहे है। परिषद् के लिये चलाये जा रहे समस्त कार्यक्रमों के लिये मानक/नियम निर्धारित है जिनका कार्यक्रमवार विवरण निम्नवत् हैः–

1– परिषद् की सदस्यता सम्बन्धी मानक/नियम :

कोई भी व्यक्ति परिषद् का सदस्य नहीं हो सकता यदि वहः–

1– राज्य सरकार की राय में किसी नैतिक अक्षमता के आरोप में दोषी पाया जाता है।

2– दीवालिया घोषित किया गया हो।

3– किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल घोषित किया गया हो।

4– प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं के द्वारा या किसी साझेदार, नियोक्ता, कर्मचारी के माध्यम से किसी ठेके व्यवसाय में कोई हिस्सेदारी या वित्तीय सहभागिता हो जिसके साथ परिषद् का सम्बन्ध हो।

5– उत्तराखण्ड राज्य के अधीन किसी भी कम्पनी व्यवसाय या समिति में निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या किसी अन्य पद पर हो जिसका परिषद् के साथ कोई व्यवसायिक सम्बन्ध हो।

6– किसी भी गैर सरकारी सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होगा वशर्ते कि उसका कार्यकाल उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचना के द्वारा गजट के माध्यम से पूर्व में ही समाप्त न कर दिया गया हो।

7– गैर सरकारी सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर सकता है तथा त्यागपत्र स्वीकृति की दशा में उनकी सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।

2– परिषद् का गठन, समावेश तथा संरचना सम्बन्धी मानक/नियम :

1– उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम–2001 में निहित प्राविधानों के अनुसार परिषद् का गठन किया जायेगा।

2– अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत यह परिषद् एक निरन्तर चलने वाले संगठन के रूप में कार्य करेगी तथा उसकी शक्तियों सहित सर्व मुद्रा होगा।

3– चल एवं अचल दोनो प्रकार की सम्पत्तियों को अधिग्रहीत करने एवं बेचने का अधिकार परिषद् को होगा।

4– किसी भी प्रकार का अभियोग परिषद् के नाम अथवा परिषद् द्वारा ही चलाया जायेगा।

3– अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धी मानक :

1– परिषद् समय–समय पर अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत निहित सेवा शर्तो के अनुरूप अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।

2– परिषद् को अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर अन्य सरकारी विभागों/निगमों/संस्थानों व अन्य अधिष्ठानों से नियुक्ति का अधिकार।

4– समितियों की नियुक्ति तथा शक्तियों सम्बन्धी मानक/नियम :

परिषद् समय–समय पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिषद् द्वारा गठित समिति को इस अधिनियम के द्वारा प्राप्त अधिकार/कर्तव्य व शक्तियों के प्रयोग हेतु शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करते हुये परिषद् की तरफ से प्रयोग करने हेतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व इस प्रकार की गठित समिति को (जैसी स्थिति हो) को अधिकृत कर सकती है।

5– विघटन सम्बन्धी मानक/नियम :

1– यदि राज्य सरकार की राय में परिषद् इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने उद्देश्यों को संचालित करने में विफल हो गई है अथवा किसी भी अन्य काम से परिषद् को आगे चलाना आवश्यक नही है, ऐसी दशा में गजट में अधिसूचना के माध्यम से परिषद् के विघटन की अधिसूचना जारी की जा सकती है तथा अधिसूचना में उल्लिखित तिथि से परिषद् का विघटन माना जायेगा।

2– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं परिषद् के सभी सदस्य परिषद् की विघटन की तिथि से अपना पदभार छोड देगे।

3– परिषद् में निहित कोष एवं अन्य सम्पत्तियां राज्य सरकार में निहित मानी जायेगी।

6– निजी पूंजी निवेश हेतु निर्धारित मानक/नियम :

1– पांच वर्ष तक नई पर्यटन इकाइयों को संचालन की तिथि से सुख साधन कर में छूट।

2– पांच वर्ष तक राज्य में स्थापित रोपवे को संचालन की तिथि से मनोंरंन कर में छूट।

3– पांच वर्ष तक संचालन की तिथि से मनोरंजन पार्को को मनोरंजन कर में छूट।

4– राज्य या केन्द्र की नयी औद्धोगिक नीति के अर्न्तगत राज्य में स्थापित नयी मल्टीप्लैक्स परियाजनाओं को मनोरंजन कर में तीन वर्ष के लिये 100 प्रतिशत की छूट।

5– भारत सरकार द्वारा इन्डस्ट्रीयल कन्सेसनल पैकेज हेतु 10 वर्ष के लिये आबकारी कर में 100 प्रतिशत छूट।

6– भारत सरकार द्वारा आयकर में इन्डस्ट्रीयल कन्सेसनल पैकेज हेतु 5 वर्ष 100 प्रतिशत छूट तथा उसके बाद अगले 5 वर्ष के लिये टेपरिंग छूट।

7– भारत सरकार द्वारा आयकर में इन्डस्ट्रीयल कन्सेसनल पैकेज हेतु 15 प्रतिशत पूंजी उपादान जो अधिकतम रु0 30 लाख है।

8– भारत सरकार पर्यटन विभाग द्वारा नये अनुमोदित होटल प्रोजेक्ट को 1, 2, 3 स्टार एंव हैरिटेज श्रेणी में कुल सैधान्तिक ऋण पर 10 प्रतिशत कैपिटल ग्राण्ट या रु0 25.00 लाख 1 स्टार के लिये,रु0 50.00 लाख 2 स्टार के लिये तथा रु0 75.00 लाख 3 स्टार व हैरिटेज श्रेणी की परियोजनाओं के लिये।

9– होटल, मोटल, रिसौर्ट, हैल्थ स्पा, योग व मैडिटेशन सैन्टर, पर्यटक ग्राम तथा मनोरंजन पार्क, वाटर पार्क, नेचुरल पार्क/बोटैनिकल पार्क हेतु भू–उपयोग परिर्वतन की सुविधा।

7– वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना हेतु निर्धारित मानक/नियम :

1– वह उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी हो।

2– जहां प्रस्तावित योजना हेतु भूमि अपेक्षित हो वहां आवेदक उसका विधिमान्य भू–स्वामी हो अथवा उक्त भूमि आवेदक के निकट सम्बन्धी के नाम हो (ऐसी स्थिति में उक्त भूमि प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में बंधक स्वरूप स्वीकार किया जायेगा, लेकिन यदि भू–स्वामी आवेदक के साथ सहऋणी अथवा जमानती के रूप में सहभागी बने तो अनुदान धनराशि केवल आवेदक को देयक होगी) पट्टे की भूमि पर भी योजना का लाभ मिलेगा वशर्ते पट्टा विलेख की अवधि ऋण अदायगी की अवधि से अधिक हो।

3– वह किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो।

4– पर्यटन की किसी विधा में तकनिकी ज्ञान अथवा पर्यटन में डिप्लोमा अथवा डिग्री धारक को वरीयता दी जायेगी।

5– योजना के अधीन चिन्हित व्यवसायों में मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं से प्रशिक्षित आवेदकों को भी वरीयता दी जायेगी।

6– योजना के अर्न्तगत पर्यटक ग्राम विकास हेतु उद्यमी समूह को (जो एक ही ग्राम में भिन्न–भिन्न प्रयोजन के लिये आवेदन करेंगे) वरीयता दी जायेगी।

वर्ष 2005–06 के अन्तर्गत योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्र.स.	जनपद का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	देहरादून	54	21
2.	उत्तरकाशी	95	33
3.	टिहरी	42	14
4.	पौडी	69	14
5.	रूद्रप्रयाग	54	27
6.	चमोली	105	29
7.	हरिद्वार	41	25
8.	नैनीताल	108	67
9.	अल्मोड़ा	54	27
10.	पिथौरागढ	72	85
11.	चम्पावत	14	11
12.	बागेश्वर	27	12
13.	उधमसिंहनगर	15	11
	योग	750	376

8– पेइंग गेस्ट योजना सम्बन्धी मानक/नियम :

1– कक्षों का पंजीकरण एक समय में 3 वर्ष के लिये किया जायेगा।

2– अधिकतम 5 कक्षों का पंजीकरण एक भवन में कराया जा सकता है।

3– भवन ऐसे स्थल पर स्थित हो जहां सुविधाजनक तरीके से पहुंचा जा सकता हो अर्थात भवन तक पहुॅच मार्ग उपलब्ध हो।

4– भवन के आस–पास का वातावरण स्वच्छ होना चाहिये।

5– आवेदक भवन का विधिक स्वामी हो एवं भवन विवादरहित स्वामित्व का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ देना अनिवार्य है।

6– पंजीकरण के उपरान्त उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एक रजिस्टर रखना भवन स्वामी के लिये आवश्यक है जिसमें ठहरने वाले पर्यटकों का विवरण अंकित कराना होगा।

7– भवन स्वामी को मासिक/त्रैमासिक पर्यटक सांख्यिकी सम्बन्धित जिले में स्थित पर्यटक कार्यालयों को उपलब्ध करानी होगी।

8– पर्यटकों के लिये पेइगं गेस्ट आवास/भोजन आदि का शुल्क पंजीकरण समिति द्वारा अनुमोदित किया जायगा।

9– निर्धारित शर्तो/नियमों का उल्लघंन किये जाने की दशा में पंजीकरण निर्धारित अवधि के पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है अथवा निर्धारित अवधि के बाद नवीनीकरण पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

9– जिला योजना से सम्बन्धित मानक/नियम :

जिला योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों का अनुमोदन जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से कराना अनिवार्य है।